दैनिक पत्रिका, भोपाल
-4 JAN 2010

दो हजार परिवारों की आस

अब उम्मीद की जाए कि पकड़े जाएंगे कुछ बड़े मोहरे भी

प्रदेश में 'जमीन के दर्द' से पीड़ित लाखों लोगों में से दो हजार तो सुकून की सांस ले ही सकते हैं। ये वो लोग हैं, जो प्लॉट पाने के लिए किसी न किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था को पूरा पैसा दे चुके है और उसके बाद भी वर्षों से सरकारी दफ्तरों या किसी न किसी न्यायिक संस्था के चक्कर खा रहे हैं। सहकारिता विभाग ने भोपाल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इन लोगों को तीन महीने में प्लॉट दिलाने का वादा किया है। वर्षों से दर्द झेल रहे लोग तीन महीने और झेल सकते हैं, क्योंकि इस बार वादा सरकार ने किया है। वैसे भूमाफिया के दुस्साहस की कोई सीमा नहीं है। वे अनेक मौकों पर कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन भी कर चुके है। जाहिर है ऐसा करने में उस सरकारी मशीनरी ने ही उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष मदद की है, जो अब प्लॉट दिलाने का वादा कर रही है। ऐसे में वादा पूरा होगा या नहीं और होगा तो किस तरह? इसकी जानकारी भी उजागर की जाना चाहिए, ताकि लोगों में विश्वास जगे। वैसे 'जमीन का दर्द' से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए अब तक की गई कार्रवाई से मौजूदा सरकार की दृढ़ता तो उजागर हुई है। फिर भी अभी तक ऐसा कोई बड़ा शिकार नहीं किया गया, जो सरकारी महकमे में रहते भूमाफियाओं को संरक्षण देता रहा हो। ऐसी किसी राजनीतिक शख्सियत की भूमिका भी सरकार स्थापित नहीं कर पाई है, जिसके संरक्षण में भूमाफिया कानून के राज को खुलेआम चुनौती देते हुए लोगों का हक मारते रहे है। जिस तरह मादक पदार्थों की तस्करी में उसे इधर-उधर करने वाले ही हाथ लगते हैं, उसी तरह लोगों को 'जमीन का दर्द' देने वालों के मोहरे ही पकड़े गए हैं। उम्मीद है दो हजार लोगों को प्लॉट मिलते-मिलते ऐसे बड़े मोहरों को भी सलाखें नसीब होंगी।